

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 124/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कर्पोरेशन लि0 पंजीकृत कार्यालय बार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम.  
रोड, फोर्ट, मुम्बई तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल जयपुर टावर एम. आई. रोड जयपुर  
राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मोहसिन पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी-65, शिव कॉलोनी, कोहिनूर सिनेमा के सामने, सांगानेर,  
जयपुर, राजस्थान-302029

एवं

- सम्पत्ति पता-प्लॉट नम्बर 15, (पूर्वी कोने का हिस्सा), नारायण विहार, माल की ढाणी, सांगानेर,  
जयपुर, राजस्थान-302029
2. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय शर्मा, निवासी-ग्राम मधुरावाला, तहसील-सांगानेर, बिलवा  
कलां, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान-302033

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and  
reconstruction of financial assets and enforcement of security  
interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।


आदेश

दिनांक 30.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
05.06.2017 व 30.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मोहसिन पुत्र  
श्री अब्दुल मजीद के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 15, (पूर्वी हिस्सा), नारायण विहार, माल  
की ढाणी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 53.33 वर्गगज को बन्धक रख कर  
10,11,555/-रूपये व 6,81,079/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी  
ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की  
धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.12.2019 को दो रजिस्टर्ड नोटिस जारी  
किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर  
प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and  
enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद  
उपलब्ध का अनुरोध किया है।

स्ट्रेट  
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी उद्योगों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिकारता को को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर 2003 में क्रम संख्या 8 पर सांख्यिकी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 10 11.555/- रुपये व 8.81,079/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिपूर्ति जनानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास निरर्पण रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण धनुरी के लिए बकाया ऋण राशि मय खाता 10,27,050/- रुपये व 8,99,398/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन दो नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में धनुरी योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पास में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास में अप्रार्थी मोहम्मिन पुत्र श्री अब्दुस मजीद के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 15, (पूर्वी हिस्सा), नारायण विहार, माल की दाम्नी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 53.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्दिष्ट करें एवं पारना रिपोर्ट निजवाने हेतु बाबन्द करें।
8. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (अन्तर सिंह नेहरा)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर